सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि

1526. **श्री बलराम सिंह यादव :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 नवम्बर, 1990 के दि टाइम्स आफ इंडिया में "सीमेंट प्राइसिज हाइक्ड थर्ड टाइम इन नवम्बर" शीर्षक के अधीन प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत छः माह के दौरान सीमेंट के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य-वृद्धि के क्या कारण हैं तथा इसका प्रतिशत कितना है ; और

(घ) क्या सरकार ने सीमेंट की उत्पादन तथा लागत, इसकी ढुलाई तथा प्रशासकीय व्यय को ध्यान में रखते हुए सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के औचित्य का मूल्यांकन किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी ।

(ग) इस समय सीमेंट के मूल्य एवं वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । मूल्य में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) सीमेंट की कुल मांग देश में सीमेंट की कुल उपलब्धता से अधिक हो जाना ।

(2) सीमेंट की मांग व उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन ।

(3) निविष्टियों की लागत और वितरण की लागत में वृद्धि ।

(4) मूल संरचनात्मक एवं उत्पादन सम्बन्धी स्थानीय बाधाएं ।

चार महानगरों में खुले बाजार में 30 जून, 1990 तथा 31 दिसम्बर, 1990 को सीमेंट के मूल्य और मूल्य में प्रतिशत वृद्धि विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए)

(घ) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए हाल में उद्योग का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है । तथापि, इसने उचित बिक्री मूल्य अनुमानों की सरकारी तौर पर समीक्षा की है।

विवरण

चार महानगरों में सीमेंट का प्रति बोरी खुदरा मूल्य (रुपयों में)

क्र० सं०	नगर का नाम	30-9-90 को मूल्य	31-12-90 को मूल्य	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	दिल्ली	82-83	95-97	17 प्रतिशत
2.	करनाल	84-85	93-99	16 प्रतिशत
3.	लुधियाना	85-86	99-100	16 प्रशिशत
4.	चण्डीगढ़	84-85	94-95	12 प्रतिशत
5.	जयपुर	81-82	87-88	7 प्रतिशत
6.	लखनऊ	82-84	94-95	13 प्रतिशत
7.	श्रीनगर	शून्य		
8.	शिमला	82-83	91-92	11 प्रतिशत

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
9. कलकत्ता	84–90	95–102	13 प्रतिशत
10. पटना	85–94	100–104	11 प्रतिशत
11. भुवनेश्वर	82–86	84–87	1 प्रतिशत
12. गौहाटी	95–100	112–115	15 प्रतिशत
पश्चिमी क्षेत्र			
13. बम्बई	89–93	95–100	8 प्रतिशत
14. भोपाल	75–78	86–88	13 प्रतिशत
15. गोवा	70–84	88–95	13 प्रतिशत
16. अहमदाबाद	70–82	90–98	20 प्रतिशत
17. राजकोट	78–82	90–98	20 प्रतिशत
18 बड़ोदा	78–82	92–98	20 प्रतिशत
19. सूरत	78–82	98–99	21 प्रतिशत
दक्षिणी क्षेत्र			
20. मद्रास	82–85	87–92	8 प्रतिशत
21 त्रिवेन्द्रम	88–93	100–103	11 प्रतिशत
22. बंगलौर	82–87	87–94	8 प्रतिशत
23. हैदराबाद	72–74	78–82	11 प्रतिशत
24. कालीकट	86–94	98–102	9 प्रतिशत

Maharashtra Chief Minister's letter to Prime Minister on formation of Development Boards under Article 371(2)

1527. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Maharashtra has sent a letter to the Prime Minister on 4th December, 1990 about formation of Development Boards under Article 371(2) of the Constitution; if so, what are the details thereof;

(b) whether the Chief Minister of Maharashtra has also desired such Boards for the Western Maharashtra and Bombay; if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether formation of Boards for the backward regions like Vidarbha, Marathwada and Konkan only is under Government's consideration; and

(d) if so, what are the details in this regard and by when the same are likely to be formed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir. The letter concerns early setting up of Development Boards in Maharashtra.

(b) The Chief Minister's proposal relates to the setting up of Development Boards for Vidarbha, Marathwada, Konkan and the rest of Maharashtra.

(c) and (d) The earlier proposal of the Government of Maharashtra was for issuing President's Order in terms of article 371(2) of the Constitution to facilitate establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra. The revised proposal suggests inclusion of Konkan also in article 371(2) and for making a